बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 229436 पटना, दिनांक 28/04/15

ग्रा.वि.-14(मु0)[illegible]-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री केदारनाथ, कोटि क्रमांक-305/11
सम्प्रति संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
(तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा)

निबंधित

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप उप विकास आयुक्त, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में शेखपुरा जिला को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके जिला से संबंधित जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
14716.62	₹ 13704381.10/-

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 14716.62 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि की वसूली की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप कुमार)
सचिव

पत्रांक 229436 पटना, दिनांक 28/04/15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया पत्र का तामिला अनुलग्नक सहित श्री केदारनाथ, सम्प्रति सेवा निवृत्त (तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा) के स्थायी पते पर कराकर उन्हें ससमय इस विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश देने की कृपा करेंगे।

(हस्ताक्षर)
सचिव

111

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक ग्रा.वि.-14(मु0)प्रो0-02/2015 पटना, दिनांक

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री केदारनाथ, कोटि० क्रमांक 305/11

निबंधित

सम्प्रति संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
(तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा)

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप उप विकास आयुक्त, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में शेखपुरा जिला को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके जिला से संबंधित जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
14716.62	₹ 13704381.10/-

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 14716.62 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि की वसूली की जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक- यथोक्त।

ह0/-
(प्रदीप कुमार)
सचिव

पत्रांक 229436 पटना, दिनांक 28/04/15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया पत्र का तामिला अनुलग्नक सहित श्री केदारनाथ, सम्प्रति सेवा निवृत्त (तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा) के स्थायी पते पर कराकर उन्हें ससमय इस विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश देने की कृपा करेंगे।

प्रदीप कुमार
सचिव 28/4

New Delhi
Dated 27th December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards the implementation of NREGA in Districts identified.*

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

आयुक्त एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
प्राप्ति संख्या ...
दिनांक ...

under NREGA and SGRY NFFWP. In this [illegible] that 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authrization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

(Amita Sharma)
Joint Secretary

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक ______/ग्रा0वि0पटना, दिनांक-
8 विविध 40/04

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

जिला का नामः- शेखपुरा

जिला परिषदः- **शेखपुरा**

क्रम सं0		उप विकास आयुक्त/जिला पदा0 का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलनीय राशि	वसूली गयी राशि	अवशेष राशि
1		2	3	4	5	6	7	8
1		श्री सुनील कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0	25959.43	9982.39	15977.4	21888544.8	1726773.25	20161771.55
2		श्री केदारनाथ, बि0प्र0से0 (कोटि क्र0-305/11						

पंचायत समिति/ प्रखंड का नामः- शेखपुरा सदर, अरियरी, चेवाड़ा, घाट कुसुम्बा, बरबीघा, शेखोपुर सराय

क्रम सं0/ प्रखंड		प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलनीय राशि	वसूली गयी राशि	अवशेष राशि
1		2	3	4	5	6	7	8
1	**शेखपुरा सदर**	उपेन्द्र कुमार (कोटि क्रमांक- 2338/99, 1258/2004)	7675.76	0	7675.76	10515791.2	212105	10303686.2
		निरंजन कुमार झा (कोटि क्रमांक- 894/2004)						
2	**अरियरी**	मंजूर अली (कोटि क्रमांक- 2004-2005 तक)	-	-	-	-	-	-
		ओम प्रकाश (2005-06)	-	-	-	-	-	-
3	**चेवाड़ा**	अमोद कुमार शरण (कोटि क्रमांक- 1824/99, 939/2004)	5058.26	0	5058.26	6929816.2	1137668.25	5792147.95
4	**घाट कुसुम्बा**	मृत्युंजय कुमार (कोटि क्रमांक- 2258/1999)	13225.41	9982.39	3243.02	4442937.4	377000	4065937.4
		ओम प्रकाश प्रसाद (कोटि क्रमांक- 908/2004)						
5	बरबीघा	जवाहर प्रसाद नायक	51612.8	0	51612.8	70709536	0	70709536
		ओम प्रकाश प्रसाद						
		डा0 ईश्वर चन्द्र शर्मा						
6	शेखोपुर सराय	मृत्युंजय कुमार	25077.96	5985.17	19092.79	26157122.3	416950	25740172.3
		ओम प्रकाश प्रसाद						
		डा0 ईश्वर चन्द्र शर्मा						